कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी :- **सर्वश्री लक्ष्मी मैन्युफैक्चर एवं ट्रेडर्स,छपरौलीरोड बड़ौत ,जिला बागपत,**
प्रा0प0सं0- **291/2008**
प्रार्थी की ओर से- **श्री संजय तोमर ,फर्म स्वामी ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

1- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 2-6-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि वे **मोलर्डिंग पाउडर (प्लास्टिक पाउडर)से फुल प्लेट,हाफ प्लेट,राइस प्लेट,डोंगे,बाउल्स,चम्मच** आदि का निर्माण एवं बिक्री करते है । उक्त वस्तुओं के निर्माण में **मोलर्डिंग पाउडर,फोर्मेल्डिहाइड,कागज** का प्रयोग होता है जो बहुत सस्ते किस्म के होते है,उक्त निर्मित वस्तुओं पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक),वाणिज्य कर,मेरठ संभाग -बी मेरठ से प्राप्त आख्या में उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी द्वारा जो वस्तुयें बनाई जाती है उन्हें सामान्य भाषा में मैलामाईन वेयर अथवा क्राकरी कहा जाता है। गत वर्षो में प्रार्थी ने इन वस्तुओं पर क्राकरी की भांति 12 प्रतिशत की दर से करदेयता स्वीकार की थी व जमा किया था । मूलतः प्रार्थी द्वारा जिन वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वे क्राकरी की श्रेणी के अन्तर्गत आती है। कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा सर्वश्री यू0पी0 ग्लास मैन्यूफैक्चर्स सिन्डीकेट ,जनरल ट्रेडर्स ,फिरोजाबाद(प्रार्थना पत्र संख्या-5/08)के वाद में धारा-59 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 24-01-08 में कॉच का ग्लास,कॉच की प्याली,कॉच की प्लेट को यूटेनसिल की श्रेणी में न मानते हुये क्राकरी की श्रेणी के अन्तर्गत माना गया है। अतः प्रार्थी द्वारा निर्मित उक्त वस्तुयें क्राकरी की श्रेणी में आने के कारण अनुसुची-5 के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री संजय तोमर ,फर्म स्वामी उपस्थित हुयें व उनके द्वारा बताया गया कि प्लास्टिक पाउडर से निर्मित फुल प्लेट,हाफ प्लेट,राइस प्लेट,डोंगे,बाउल्स,चम्मच किचेन वेयर / टेबिल वेयर के रुप में प्रयोग होने के कारण बर्तनो की श्रेणी में आते है व इस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेयता होनी चाहिए। वैट अधिनियम की अनुसुची-2 के भाग-क के क्रमांक -7 पर निम्न प्रविष्टि अंकित हैः-

7.	*All utensils including pressure cookers / pans except utensils made of precious metals, ceramic wares and glasswares; Art brass ware and ingots (guilli).*

4- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों,प्राप्त विभागीय आख्या व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्को का परिशीलन किया। प्लास्टिक पाउडर से निर्मित फुल प्लेट,हाफ

क्रमशः2पर/

<u>सर्वश्री लक्ष्मी मैन्युफैक्चर एवं ट्रेडर्स,छपरौलीरोड बड़ौत,जिला बागपत,प्रा0प0सं0-291/2008</u>

प्लेट,राइस प्लेट,डोंगे,बाउल्स,चम्मच क्राकरी की श्रेणी में आते है । वैट अधिनियम की अनुसुची- 1,2,3,4 में वर्गीकृत न होने के कारण अनुसुची-5 के अन्तर्गत 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 11,अगस्त ,2008

ह0 11.8.08

(दीपक कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।